न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—55/2018/223 (2018/00055)

1. धन्ना पुत्र सोनाथ, जाति ढोली, निवासी ग्राम अमरगढ़, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती नर्बदा पत्नि मीठू, जाति ढोली, निवासी ग्राम अमरगढ़, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 31.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 32/2017.

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—26.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट के अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अमरगढ़, तहसील पीसांगन अवस्थित खसरा संख्या 1123, 1124, 1125 कुल किता 3 कुल रकबा 0.53 है0 भूमि में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा खरीदशुदा संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की आराजी है । उक्त आराजी का विधिक विभाजन आज दिवस तक नहीं हुआ है । कब्जे को लेकर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विवाद होता रहता है । अतः वाद स्वीकार कर विधिक विभाजन किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 29.7.2015 को निर्णय पारित कर वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 31.5.2017 को वाद में बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.5.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि मौका पर्चा दिनांक 23.12.2015 में मौके पर किये जा रहे बंटवारे के अनुसार उत्तर से दक्षिणा दिशा की ओर से वादिया/रेस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलांट दोनों पक्ष असहमत थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त मौका पर्चा के आधार पर वाद में अंतिम डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये है । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को दोनों पक्षों ने पृथक–पृथक समय पर क्रय की थी एवं दोनों पक्ष अपने क्रय दिनांक से वादग्रस्त आराजी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा पूर्व में हुए विभाजन एवं कब्जे काश्त की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बंटवारा किए जाने की सहमति प्रदान की थी परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली पर उपलबध दस्तावेज एवं मौका पर्चा दिनांक 23.12.2015 एवं कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 28.12.2015 के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अपीलांट/प्रतिवादी दिनांक 31.5.2015 को कैम्प कोर्ट लामाना में उपस्थित नहीं था न ही अपीलांट को अंतिम डिक्री पारित करते समय साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिससे अपीालधीन निर्णय व डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 20 का उल्लंघन कर रेस्पो0 को लाभ प्रदान करने की गरज से पारित की गई है । अपीलाधीन निर्णय कैम्प लामाना में पारित किया है जो विधि विरूद्ध है क्योकि न्याय आपके द्वारा शिविर में विवादों को काश्तकारों के मध्य आपसी सहमति एवं समझाईश उपरांत निपटाये जाते है यही लोक अदालत की मंशा होती है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ था । अधी0न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.5.2017 की जानकारी पूर्व में नहीं थी । उक्त जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 7.2.2018 को हुई जब अप्रार्थी मौके पर आयी अपीलाधीन आदेश के आधार पर विभाजन करने का कहा । तत्पश्चात् प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में निर्णय की जानकारी कर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के उपरांत फीस इत्यादि की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है उक्त मौका रिपोर्ट दोनों पक्षों की मौजूदगी में तैयार की गई है । यदि अपीलांट को कुरेजात रिपोर्ट से कोई आपत्ति थी तो अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज करना चाहिये था । विवादित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने वादी के वाद में दिनांक 29.7.2015 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया था । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.12.2015 उपलब्ध है । यह विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार कर भिजवाया गया है । इसी प्रकार पत्रावली पर एक अन्य मौका पर्चा दिनांक 23.12.2015 भी उपलब्ध है । उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार न कर पटवारी हल्का से मंगवाकर भिजवाये गये है जबकि तहसीलदार स्वंय को मौके पर जाकर उभयपक्ष की मौजूदगी में विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने चाहिये थे । पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 20 के विपरीत होने से इसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री को भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.5.2017 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.5.2017 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार, पीसांगन से तहसीलदार की मौजूदगी में पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्या एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर